

50

23

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना इस्क द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजी. क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2002—पौष 28, शक 1923

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2002

क्रमांक 4/संसदीय कार्य विभाग/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 7 सन् 1973 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य हेतु एतद्वारा छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा भना नियम 1957 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में :—

(1) नियम 3 (1-क) में उल्लेखित " 3 रुपये " को विलोपित किया जाए और उसके स्थान पर " 5 रुपये " प्रति स्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रभात शास्त्री, उप-मचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2002

क्रमांक 4/संसदीय कार्य विभाग/2001.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम 1957 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

Raipur, the 18th January 2002

No.4/Parliamentary Affairs Deptt./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha, Vetan, Bhatta Tatha Pension Act, 1972 (No. 7 of 1973) the State Government for the Chhattisgarh State hereby amend the Vidhan Mandal Yatra Bhatta Rule, 1957, namely :—

#### AMENDMENT

In the above rule :—

Rule 3 (1-A) words "Rs. 3" shall be omitted and substituted by "Rs.5".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.  
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary.